राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2021/2011/अजमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–अ, अजमेर । ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सुमित कम्यूनिकेशन, पुष्कर रोड, अजमेर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री ओ.पी.माहेश्वरी, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 15.07.2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–अ, अजमेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) अजमेर, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 64/2010–11/वेट/अजमेर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 06.06.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 23.03.2010 (निर्धारण वर्ष 2007–08) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2007–08 का वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.03.2010 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी को आलौच्य अवधि के दौरान उसके द्वारा बिक्रीत माल की उत्पादक कम्पनी मैसर्स टाटा इण्डिकाम टेली सर्विसेज लिमिटेड (TTSL) द्वारा प्रमोशन स्कीम के तहत ₹1,27,93,655/– की सब्सिडी प्रदान की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने यह मानते हुए कि प्रत्यर्थी को उक्त राशि के प्राप्त होने की जानकारी विक्रय से पूर्व थी एवं वेट अधिनियम की धारा 2(36) अनुसार व्यवहारी को मिलने वाली सब्सिडी भी consideration for sale होने के कारण विक्रय मूल्य का भाग है, इसलिए उक्त सब्सिडी राशि पर 4 प्रतिशत की दर से कर ₹5,11,746/– का आगत कर का मुजरा रिवर्स कर, कर आरोपण किया गया। इसी प्रकार प्रकरण में चारों त्रैमासिक विवरणी प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति ₹2000/– आरोपित कर, आदेश पारित किया गया । प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर

लगातार..............2

अपीलीय अधिकारी ने अपीलीय आदेश दिनांक 06.06.2011 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर करारोपण को अपास्त किया, जिसके विरूद्ध यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से आरोपित कर को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। उनका कथन है कि व्यवहारी जानबूझकर विक्रय मूल्य कम वसूल कर सब्सिडी द्वारा विक्रय मूल्य का पुनर्भरण कर रहा है तथा उस पर कर अदा नहीं किया जा रहा है। सब्सिडी विक्रय मूल्य का भाग होते हुए भी अपीलीय अधिकारी ने कर को अपास्त कर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया। अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शास्ति को विधिसम्मत होना अवधारित कर, उक्त बिन्दु पर भी अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 2(36) अनुसार व्यवहारी को विक्रेता से अतिरिक्त स्रोत से मिलने वाली सब्सिडी विक्रय मूल्य का भाग नहीं हो सकती, क्योंकि यह सब्सिडी बिक्रीत माल का consideration नहीं है। अपने कथन के समर्थन में **124 एस.टी.सी. 586 (SC) नीवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी कुड्डलोर, 126 एस.टी.सी. 547 (SC) टिस्को जनरल ऑफिस रिक्रिएशन क्लब बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य** एवं **124 एस.टी.सी. 562 (SC) मद्रास रिफाईनरी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व समान बिन्दुओं पर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1817/2011/जोधपुर निर्णय दिनांक 26.08.2013** के न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये।

अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा पूर्ण खरीद पर विक्रेता को वैट भुगतान किया जाता है। विक्रेता द्वारा प्रत्यर्थी को कोई क्रेडिट नोट जारी नहीं किया जाता, न ही चुकाये गये वैट को लौटाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी को तृतीय पक्ष मैसर्स टाटा इण्डिकाम टेली सर्विसेज लि0 द्वारा सब्सिडी दिये जाने को विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता। इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर कोई त्रुटि नहीं की है। उक्त आधारों पर अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार...............3

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी के रेकॉर्ड व उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने क्रेताओं को बिक्रीत माल के विषय में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, बल्कि प्रत्यर्थी को उसके विक्रेता मैसर्स ड्राईव इण्डिया कॉम के अतिरिक्त मैसर्स टाटा इण्डिकाम टेली सर्विसेज लिमिटेड (TTSL) द्वारा प्रदत्त सब्सिडी ही विवादित की गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने इसे Sale price का भाग मानते हुए तथा उसपर लाभांश जोड़कर वेट आरोपित किया है।

इस संबंध में विक्रय मूल्य की परिभाषा वेट अधिनियम की धारा 2(36) का अध्ययन किया जाना आवश्यक है जो जो कि इस प्रकार है :–

2(36) **"sale price"** means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I. – In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III. – Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

उक्त परिभाषा अनुसार विक्रेता को जो राशि माल के मूल्य के रूप में क्रेता से प्राप्त होती है, या होने योग्य है, वही विक्रय मूल्य का भाग है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **(2001) 124 एस.टी.सी. 586** में जहां फर्टीलाईजर पर सब्सिडी का प्रकरण विचाराधीन था, सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि (Para-15) –

लगातार..............4

_15. It appears to us that the aforesaid observations are clearly applicable in the present case. Here also, there is no statutory basis for the grant of subsidy; and the amount was received by the appellant pursuant to the administrative decision taken by the Central Government. Furthermore, the subsidy is not traceable to any agreement, direct or indirect, between the manufacturer and the purchaser of fertilizer. What was payable in law as a sale price for fertilizer was the amount or the rate fixed under the Fertilizer (Control) Order and no more. This position is also made clear by the observations of this Court in M/S. George Oakes (P.) Ltd. v. State of Madras, [1962] 2 SCR 570, wherein a Constitution Bench observed that the expression turnover means the aggregate amount for which goods are bought or sold, whether for cash or for deferred payment or other valuable consideration, and when a sale attracts purchase tax and the tax is passed on to the consumer, what the buyer has to pay for the goods includes the tax as well and the aggregate amount so paid would fall within the definition of turnover. At page 580, it was observed that "so far as the purchaser is concerned, he pays for the goods what the seller demands, viz., price even though it may include tax. That is the whole consideration for the sale and there is no reason why the whole amount paid to the seller by the purchaser should not be treated as the consideration for the sale and included in the turnover." It is clear from the aforesaid observations that it is that amount which flows from the purchaser to the seller which alone would form part of the turnover of the seller. Any sum received dehors the contract of sale from another entity, whether it be Government or any one else, cannot be regarded as being an amount which would form part of the sale price on which tax is payable.

इसी प्रकार माननीय शीर्ष न्यायालय ने 124 एस.टी.सी. 562 में भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि –

".........the amount received by the appellant from the compensation pool. It is the case of the appellant that in the show cause notices, it is stated that the amount so received is to form part of the sale price and, therefore, would be includible in its taxable turnover. It is, however, contended that even if it be assumed that the amount received from the compensation pool would form part of the sale price, but, as the amount is

लगातार...............5

received in connection with the sales made by the appellant to another oil company, namely, IOCL, then, by virtue of Explanation 1 referred to hereinabove, the transaction is not to be regarded as the first sale within the State. The amount received by the appellant as a sale consideration from out of the pool relateable to the said sale would, therefore, not be regarded as part of the taxable turnover at all......."

प्रस्तुत प्रकरण में भी प्रत्यर्थी को विक्रेता के अतिरिक्त मैसर्स TTSL द्वारा प्रदत्त सब्सिडी को विक्रय मूल्य का भाग मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण अविधिक रूप से किया गया था, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर, आगत कर का मुजरा प्रदान करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। इसी कम में अधिक जमा राशि का समायोजन के बिन्दु पर भी अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से सत्यापन बाद समायोजन हेतु उचित रूप से अपील स्वीकार की गयी है । इसी प्रकार अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति के बिन्दु पर उचित रूप से विधिक स्थिति के अलोक में, उचित रूप से आरोपित शास्ति में से ₹1500/– को अपास्त किया गया है । अतः पारित अपीलीय आदेश में **कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1817/2011/जोधपुर निर्णय दिनांक 26.08.2013 के आलोक में, व उपर्युक्त विवेचनानुसार** किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

15.7.2014
(मदन लाल)
सदस्य